कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न–20/असुव्य (72)/2024 दिनांक: सितम्बर 06, 2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
Vantage Hall Residential Girls School
(Global Learning Centre)
Dunga Road Near UPES
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भ:– **शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0–54381532 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा Vantage Hall Residential Girls School (Global Learning Centre), Dunga Road Near UPES, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 04.09.2024 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः Vantage Hall Residential Girls School (Global Learning Centre), Dunga Road Near UPES, जनपद देहरादून को शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 06 सितम्बर 2024 से 05 सितम्बर 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा:–

1. प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है भवन को उसी प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाए। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/होटल/नर्सिंग होम आदि) हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियॉ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप के साथ रहेगी।
3. प्रश्नगत शैक्षणिक संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय–समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेगे, तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगे।
4. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
5. प्रश्नगत भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
6. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
7. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्पयूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
8. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुघर्टना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।

6/9/24

(वी0 बी0 यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

-: अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निरीक्षण आख्या फायर स्टेशन......सेलाकुई..........जनपद देहरादून ::

1	यूआईडीनम्बर	54381532
2	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	श्री राजेन्द्र सिंह खाती मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून
3	पूर्वइकाई / संस्थान / भवन का नाम व पता	, vantage hall residential girls school [global learning centre], dunga road,dehradun
4	इकाई / संस्थान / भवन स्थापना वर्ष	2010
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र काप्रकार	Annual Clearance
6	आवेदन की तिथि	30/08/2024
7	निरीक्षणतिथि	04.09.2024
8	निरीक्षण आख्या भेजने की तिथि	04.09.2024
9	स्वामी / प्रबन्धक का नाम	Prakash
10	स्वामी / प्रबंधक का ईमेल आईडी	fireenderuk@gmail.com
11	स्वामी / प्रबंधक का मोबाईल नम्बर	8077355668
12	प्लॉट एरिया वर्गमीटर में	28103-57Square Meter
13	कवर्ड एरिया वर्गमीटर में	15052-08Square Meter
14	भवन की श्रेणी	स्कूल भवन
15	भवन का सैटबैक	अग्र भाग–18.0 मी, पृष्ट भाग–9.0 साईड 1–9.0 साईड 2–9.0
16	ब्लॉकों की संख्या	5
17	इकाई / संस्थान / भवन की ऊँचाई मीटर	09 मी
18	इकाई / संस्थान / भवन में तलों की संख्या	03
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	1765.20Square Meter
20	प्रत्येक तल पर कक्षों की संख्या	05
21	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया	शून्य
22	इकाई / संस्थान / भवन तक पहुँच मार्ग की स्थिति	पक्की सडक
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटरमें	25 मीटर
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई	08 मीटर
25	आन्तरिक मार्गकीचौड़ाई मीटरमें	10 मीटर
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरीमीटरमें	100 मीटर
27	निकासहेतुजीनों की संख्या	02,02,02,02,01
28	जीनो की चौड़ाईमीटरमें	02 मीटर
29	कॉरीडोर की चौडाई मीटरमें	03 मीटर
30	दरवाजों की संख्या	02
31	दरवाजों की चौड़ाई मीटर में	1.5 मीटर से 02 मीटर तक
32	रैम्प की चौड़ाईमीटरमें	–
33	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	15, एबीसी ,सीओटू, एफफफ फोम टाईप एक्सटिंग्युशर
34	होजरील की कुल संख्या (प्रत्येक तलपर संख्या)	09 – 03,02,02,02
35	डाउनकमर	हॉ
36	राइजिंगमेन	हॉ
37	यार्डहाईड्रेन्ट	05
38	संवेदनशील / भण्डारण स्थलोंपर स्प्रिंकलर्ससिस्टम	–
39	मैनुवली ऑपरेटैड फायर अलार्म	हॉ
40	ऑटोमैटिक ऑपरेटैड फायर अलार्म सिस्टम	–
41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटरमें	04 लाख ली0
42	टैरिस टैंक की क्षमता लीटरमें	प्रत्येक ब्लॉक पर 05 हजार लीटर टैरिस टैंक
43	मेनफायरपम्प की क्षमता व प्रवाह	15 एच.पी
44	डीजलपम्प की क्षमता व प्रवाह	डी.जी से चेन्ज ओवर
45	जॉकीपम्प की क्षमता व प्रवाह	–

46	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	प्रत्येक ब्लॉक पर 05 H.P का टैरिस पम्प
47	पम्प स्वचालितहै या मैनुअल	मैनुअल
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटेगरी / पम्प की क्षमता व प्रवाह	02 H.P + 02 H.P
49	बोरिंग की परिधि	03 inch
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	D.G
51	अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	06
52	इकाई में उत्पादन	School
53	हैजार्ड की श्रेणी	Low
54	यदि संस्थान में ज्वलनशील / खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविधान	—
55	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग / ओटीएस में स्वीकृतहै या नही।	—

VANTAGE HALL GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL DEHRADUN

Scanned with OKEN Scanner

महोदय,

वर्तमान में स्कूल भवन में अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में हैं अतः रिपोर्ट संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित हैं।

FSSO 24/09/24

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई जनपद देहादून।

प्रत्रांक–एफ0एस0 / वा0आ0 / 24 दिनॉक– सितम्बर 04, 2024

सेवा मे

श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जनपद –देहरादून।

कृपया ऑनलाईन यूनिक नम्बर– 54381532 दिनांक –30-08-2024 के क्रम **vantage hall residential girls school [global learning centre], dunga,UPES BIDHOLI VILLAGE dehradun** प्रशनगत स्थल का भौतिक निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया। प्रश्नगत भवन मे स्थापित किये गये प्राथमिक अग्निशमन उपकरण कार्यशील एवं संन्तोषजनक दशा मे हैं। प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क जमा करा दिया गया है। आवेदक को उपकरणों की कार्यशीलता बनाये रखने तथा टास्क के अनुसार देख–रेख करने, आपातकालीन निकास मार्गो को सदैव उच्च स्तर पर बनाये रखने का प्राविधान किये जाने एवं कार्यरत कर्मचारियो को उपकरणों को चलाने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने का सुझाव दिया गया।

अतःउपरोक्त स्कूल भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाये रखने तथा उक्त निर्देशो का पालन करने के प्रतिबन्ध के साथ आवेदक को अग्रिम 03 वर्ष हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण– पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

04/09/24

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
सेलाकुई

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून

पत्रांक: न–20/असुव्य (558)/20–21 दिनांक: अगस्त 04, 2020

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
वेन्टेज हॉल रेजीडेन्सियल गर्ल्स स्कूल (ग्लोबल लरनिंग सेन्टर)
Vantage Hall Residential Girls School (Global Learning Centre)
डूंगा, निकट UPES विधौली गांव
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 54931491 दिनांक 24.07.2020 के सम्बन्ध में।

आपके स्कूल का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 31–07–2020 में आपके स्कूल में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 31–07–2020 के आधार पर आपके स्कूल हेतु दिनांक 04–08–2020 से 03–08–2021 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अरि0 एस0 खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।